

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2018/32

दिनांक : 12/04/2018

- आदेश :-

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(1)/त्रिस्वा/2/2014पार्ट दिनांक 09.11.2017 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अर्न्तगत वॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1	भीलवाडा	डॉ० संसार चन्द्र आसीवाल / श्री गोपाल लाल आसीवाल	16.11.88		पुरुष	मु.चि. एवं स्वा. अधि. भीलवाडा के अधीन
2		डॉ० नरेन्द्र सिंह राणावत / श्री हरिसिंह राणावत	05.08.90		पुरुष	
3		डॉ० मुस्लिम मुजाहिद / श्री सिराज मो० असारी	30.06.89		पुरुष	
4		डॉ० नितिन जीनगर पंवार / श्री कारीलाल जीनगर पंवार	03.12.92		पुरुष	
5		डॉ० विजेन्द्र मोयल / श्री रामेश्वर लाल मोयल	10.01.90		पुरुष	
6		डॉ० राकेश कुमार चौधरी / श्री कजाल मल चौधरी	03.04.89		पुरुष	
7		डॉ० राहुल महला / श्री राजेन्द्र प्रसाद महला	01.01.90		पुरुष	
8		डॉ० अभिराज मीणा / श्री जगमोहन मीणा	30.06.92		पुरुष	
9		डॉ० अजय सिंह मीणा / श्री ओमप्रकाश मीणा	20.02.91		पुरुष	
10		डॉ० सुश्री रोली मीणा / श्री मुरारी लाल रायत	14.09.87		महिला	
11	बांसवाडा	डॉ० अनुराधा सोनी / श्री शक्ति नारायण सोनी	02.04.90	OBC	महिला	मु.चि. एवं स्वा. अधि. बांसवाडा के अधीन
12		डॉ० राकेश कुमार / श्री रूपलाल कटारा	22.07.91	ST	पुरुष	
13		डॉ० कुमार विवेक तंवर / श्री मानसिंह तंवर	09.08.83		पुरुष	
14		डॉ० दिनेश चन्द्र खडा / श्री नागजी खडा	15.08.88	ST	पुरुष	

15	बांसवाडा	डॉ० सलीम परशुराम टोकरे/ श्री परशुराम टोकरे	13.02.92	5A	पुरुष	मु.चि. एवं स्वा. अधि. बांसवाडा के
16		डॉ० पंकज डामोर/श्री मगन लाल डामोर	24.01.93	5A	पुरुष	अधीन

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

नोट :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को लेख है कि अभ्यार्थी के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री आरएमसी का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्र की जांच करें तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यार्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दन्त) है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2018/32

दिनांक : 12/04/2018

प्रतिलिपि निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, संबंधित/ जिला कलेक्टर, संबंधित।
4. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सक को आपके अधीन लम्बे समय से आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक/समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त चल पदों पर पदस्थापन करते हुए कार्यग्रहण की सूचना 03 दिवस में अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
8. निजी आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।